

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)**

प्रार्थना पत्र संख्या  
15/36/19

प्रवेश तिथि  
11-06-2019

निर्णय दिनांक  
30-07-2019

1- पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय जिसका प्रधान कार्यालय 7, भीखाजी कामा प्लेस अफ्रीका एवेन्यू नई दिल्ली-110066 में स्थित व कार्यरत है जिसकी एक शाखा कार्यालय शिवाजी पार्क अलवर में स्थित व कार्यरत है। जयें लोकेश जैन मुख्य प्रबन्धक शिवाजी पार्क अलवर।

प्राधिकृत अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रार्थी

**—::बनाम ::—**

- 1-अमीलाल पुत्र श्री बदलेराम मृतक (ऋणी)
- 2-योगिता पत्नी स्व० श्री अमीलाल (सह ऋणी)
- 3-दीपेश जनोथरिया पुत्र स्व० श्री अमीलाल नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता योगिता
- 4-तनिश जनोथरिया पुत्र स्व० श्री अमीलाल नाबालिंग जरिये सरपरस्त माता योगिता पत्नी स्व० श्री अमीलाल सी-519 सूर्य नगर अलवर।

अप्रार्थी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

**—:: निर्णय ::—**

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति अमीलाल पुत्र बदलेराम की सम्पत्ति जो सी-519 सूर्य नगर अलवर पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जो कि पंजीयन के अन्तर्गत जिला अलवर में है व माप लगभग 46.68 वर्गमीटर है, चतु सीमा : उत्तर में युआईटी प्लॉट, दक्षिण में सडक 25 फुट चौड़ी, पूर्व में प्लॉट नं० सी-520, पश्चिम में प्लॉट नं० सी-518 है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार

जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)

किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30-07-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



(इन्द्रजीत सिंह)  
जिला न्यायालय अलवर  
अलवर (राज०)